के आचार्य तथा निदेशक के पदों के लिये कोई विशेष योग्यतायें निर्धारित की गई हैं ;

(ख) क्या इन पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के पास ये योग्यतायें हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) : भाग (क) से (ग). १९४८ में जब प्रिंसिपल की भरती की गई थी तो कुछ आवश्यक अनुभव और योग्यतायें निर्धारित की गई थीं । वर्तमान अधिकारी के पास वे सब योग्यतायें और अनुभव हैं ।

डायरेक्टर के पद के लिये खास तौर पर विशेष योग्यतायें निर्धारित नहीं की गई । वर्तमान अधिकारी प्रसिद्ध जिआलिजिस्ट हैं और अपने क्षेत्र में खूब अनुभवी हैं ।

Monuments in Punjab

2898. Shri Daljit Singh: Will the Minister of **Scientific Research and Cultural Affairs** be pleased to state the amount sanctioned for the protection and improvement of monuments in Punjab by the Central Government during 1958-59?

The Minister of Scientific Research and Cultural Affairs (Shri Humayun Kabir): Final allocation of the amount to be spent during 1958-59 on the maintenance of the monuments of national importance in the various Circles of the Union Department of Archaeology has not yet been made.

Census of Wealth

2899. Shri R. S. Arumugam:
Shri Elayaperumal:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of families in the country whose properties excluding agricultural properties are worth between Rs. 2 lakhs to 10 lakhs, 10 lakhs to 25 lakhs, 25 lakhs to 50 lakhs, 50 lakhs to 1 crore and above one crore category-wise and State-wise?

The Minister of Finance (Shri Morarji Desai): A rough estimate of number of families (Individuals and Hindu Undivided Families) whose wealth excluding agricultural properties, fall under the various categories is given below according to the charges of the Commissioners of Wealth-tax. As some of the Commissioners hold jurisdiction over more than one State, separate figures for some of the States are not readily available:—

Commissioners' Charges	Rs. 2 lakhs to 10 lakhs		Rs. 10 lakhs to 25 lakhs		Rs. 25 lakhs to 50 lakhs		Rs. 50 lakhs to 1 crore		Above 1 crore	
	Ind.	HUFs	Ind.	HUFs	Ind.	HUFs	Ind.	HUFs	Ind.	HUFs.
Bombay	8094	614	481	41	88	16	29	4	11	..
West Bengal	3467	279	163	34	31	4	2	2	4	..
Punjab and Jammu & Kashmir	551	154	16	8	2	..	2	..	..	..
Delhi and Rajasthan	1206	217	51	6	6	..	2	..	1	..
Uttar Pradesh	523	211	27	3	9	..	1	..	..	..
Bihar & Orissa	375	242	21	9	2	..	..	..	1	..
Assam	232	95	5	1	2	..	..	..	..	..

Commissioners' Charges	Rs. 2 lakhs to 10 lakhs		Rs. 10 lakhs to 25 lakhs		Rs. 25 lakhs to 50 lakhs		Rs. 50 lakhs to 1 crore		Above 1 crore	
	Ind.	HUFs	Ind.	HUFs	Ind.	HUFs	Ind.	HUFs	Ind.	HUFs
Madhya Pradesh .	481	159	29	14	3	1	1	3	1	..
Andhra Pradesh .	772	233	47	8	9	2	3	1	3	..
Mysore . . .	729	193	19	11	1	..	..	..	..	..
Madras . . .	1160	280	35	6	4	5	..	..	..	..
Kerala . . .	454	96	27	5	3	1	..	..	1	..
TOTAL .	18044	2773	921	146	169	29	40	10	22	..

निवृत्ति वेतन के मामले

२९००. **श्री खादीवाला :**
श्री क० भे० मालवीय :
श्री दलजीत सिंह :
श्री न० म० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के पश्चात् उनके निवृत्ति वेतन के मामले निबटाने के लिये कितनी अवधि नियत की गई है ; और

(ख) निवृत्ति वेतन के कितने मामले छः महीने, एक साल, दो साल अथवा पांच साल से अधिक समय से विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इसके लिये कोई अवधि निश्चित नहीं है ; पर पेंशन सम्बन्धी आवेदन-पत्रों को निबटाने वाले सभी अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखने का आदेश दिया गया है कि जिस अफसर को जिस दिन से पेंशन मिलनी हो उसे वह उसी दिन से मिलने लगे । यदि किसी खास मामले में देर लगे बिना काम न हो तो अन्त में जितनी पेंशन निश्चित होने का अनुमान हो उसके हिसाब से अफसर को कुछ रकम दी जाने लगती है ताकि उसे कष्ट न हो ।

(ख) जो सूचना मांगी गई है वह प्राप्त नहीं है । सारे देश में केन्द्रीय सरकार के जितने दफ्तर हैं, उनसे यह सूचना प्राप्त करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा उतना इससे लाभ नहीं होगा ।

निवृत्ति वेतन

२९०१. **श्री खादीवाला :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कम से कम कितना निवृत्ति वेतन मिल सकता है ;

(ख) क्या यह सच है कि सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले निवृत्ति वेतन की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है जब कि निवृत्ति वेतन की अधिकतम सीमा नहीं निश्चित की गई है ; और

(ग) यह सीमा किन सिद्धान्तों पर आधारित है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कम से कम कितनी पेंशन दी जाये, इसके बारे में कोई निर्धारित नियम नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह निर्धारित कर दिया गया है कि पेंशन पाने के लिये पेंशन पाने की योग्यता प्रदान करने वाली अधिक से अधिक कितने वर्षों की सेवा होनी चाहिये और विहित नियम के अनुसार अधिक से अधिक कितनी पेंशन दी जानी चाहिये ।